

क्षेत्रीय कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,

विकास विहार, गोहनपुरी, मेरठ।


आदेश

केप टाउन एसोसियेशन ऑफ अपार्टमेन्ट ऑनर्स, प्लॉट नं०-जी०एच-०१/ए, सैक्टर-७४, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पंजीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने सेक्रेटरी की हैसियत से ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक: ३.४.२०१९ को वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन किया।

उक्त पंजीकरण आवेदन के विरुद्ध श्री अमित तिवारी, श्री नवीन दूवे, श्री विवेक कुमार व अन्य के द्वारा कार्यालय में दिनांक: ०४.६.२०१९ एवं १२.६.२०१९ को शिकायती प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त श्री अमित तिवारी व अन्य के द्वारा भी एक पत्र कार्यालय में दिनांक: २७.६.२०१९ इसमें इसी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत की गई है। श्री कृष्ण कुमार शर्मा का पत्र दिनांक: २८.६.२०१९ जो कार्यालय में दिनांक: ०१.७.२०१९ को प्राप्त है। जिसमें शिकायतकर्ता श्री विवेक कुमार के द्वारा स्वयं पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक: ०३.०३.२०१९ को निर्वाचन सम्पन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी अवगत कराया कि पंजीकरण के सम्बन्ध में मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त के परिपेक्ष्य एवं ए०ओ०ए० द्वारा प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर एसोसियेशन के निवासियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा सेक्रेटरी की हैसियत से प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर प्रश्नगत ए०ओ०ए० का दिनांक: १६.०७.२०१९ को पंजीकरण शिकायतकर्ताओं के शिकायती पत्र के आलोक में इस निर्देश के साथ किया गया कि यू०पी० अपार्टमेन्ट एक्ट २०१० के प्रावधानों के साथ ६० दिन में निर्वाचन सम्पन्न कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


उक्त के क्रम में श्री अरुण कुमार शर्मा, अध्यक्ष ने कार्यालय में दिनांक: २२.७.२०१९ को पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि ए०ओ०ए० का गठन विधिवत निर्वाचन करके ही किया गया है।



क्रमशः पृष्ठ (२)

जिसमें लगभग 700-800 आमर्स ने भाग लिया है। जिसका परिणाम कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिन 25 शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है। उनमें से 21 व्यक्ति जिसमें में से कुछ व्यक्ति न ही ए0ओ0ए0 के सदस्य और न ही अपार्टमेन्ट ऑनर्स हैं तथा कुछ वहां निवास नहीं करते हैं। शिकायतकर्ता श्री नवीन दूबे, श्री अमित तिवारी, श्री बन्टी यादव व श्री सौरभ त्यागी के द्वारा निर्वाचन में प्रतिभाग भी किया गया है। साथ ही ए0ओ0ए0 को अपना कार्यकाल विधिवत पूर्ण करने का अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया गया है।

श्री अरूण कुमार शर्मा के अनुरोध पत्र एवं ए0ओ0ए0 के निवासियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्र दिनांक: 25.7.2019 के द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा अध्यक्ष के साथ शिकायतकर्ता को इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया गया कि आप सभी शिकायतकर्ताओं के द्वारा अपनी शिकायतों की पुष्टि हेतु साक्ष्य/प्रमाणों फोटो शपथ पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक: 14.8.2019 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। नियत तिथि को अन्य शिकायतकर्ता के रूप में श्री नवीन दूबे, श्री बन्टी यादव, अमित तिवारी, श्री श्याम शंकर, श्री सुबोध कुमार व श्री नीरज शर्मा उपस्थित हुए। नियत तिथि को शिकायतकर्ता श्री अमित तिवारी, श्री नवीन चन्द दूबे तथा श्री बन्टी यादव को निर्देशित किया गया कि आपके साथ अन्य के रूप में दर्शित शिकायतकर्ता 20 के साक्ष्य के रूप में रजिस्ट्री की प्रति फोटोयुक्त शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक: 22.8.2019 तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करें। दिनांक: 19.8.2019 को लगभग 112 सदस्यों के हस्ताक्षरों से कार्यालय में पत्र प्राप्त है। जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि है कि ए0ओ0ए0 का गठन दिनांक: 03.03.2019 को निर्वाचन के द्वारा हुआ। सभी अपार्टमेन्ट स्वामियों के स्वतन्त्र मतदान द्वारा सम्पन्न हो चुका है।



क्रमशः पृष्ठ (3)

साथ ही ए0ओ0ए0 को विधिसम्मत अपना कार्यकाल पूर्ण करने व सोसाइटी की सेवा करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता श्री बन्दी यादव के द्वारा पत्र दिनांक: 21.8.2019 के साथ श्री संजय कुमार कौशल, श्री रोहित जैन, श्री सौरभ त्यागी, श्री योगेश कुमार, श्री श्याम शंकर, श्री सुबोध कुमार, श्री लोकेश गुप्ता, श्री वेदप्रकाश एवं श्री वरुण सैन का शपथ पत्र प्राप्त है। जिसमें कुछ शपथकर्ताओं के द्वारा शपथ पत्र में किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता दर्शित होती है।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा सचिव ने पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 14.8.2019 के माध्यम से अवगत कराया है कि 24 शिकायतकर्ताओं में श्री वरुण सिंह- सी0एम0/2-1305, श्री आशु शर्मा- सी0एम0/01-506, श्री आकाश शर्मा- सी0जी0डी0/1-501, श्री सुशील कुमार- सी0एम0/02-1402, श्री अजय गुप्ता- सी0एस0/03-1405, श्री लोकेश गुप्ता- सी0सी0/01-1201, श्री मोहित गुप्ता- सी0सी0/01-801, श्री राजेश कुमार- सी0एस0/03-404, श्री सुरेश शर्मा, श्री वरुण- सी0एस0/05-1403, श्री नवीन कुमार- सी0वी0/04-406, श्री अतुल- सी0एम0/01-506, श्री संजीव- सी0एस0/03-1208, श्री आकाश मल्होत्रा- सी0वी0/02-803, श्री पंकज बाली- सी0एस0/10-006, श्री रीतेश- सी0एम0/02-503 सोसायटी में प्लेट मालिक नहीं है।

पत्रावली में प्राप्त प्रपत्रों एवं उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों/प्रमाणों एवं कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत ए0ओ0ए0 के गठन के सम्बन्ध में दिनांक: 03.03.2019 को सम्पन्न किये गये निर्वाचन नियमानुसार प्रतीत होते हैं। क्योंकि दिनांक 03.03.2019 को ए0ओ0ए0 के गठन के पश्चात् पंजीकरण हेतु दिनांक 03.04.2019 के लगभग दो-तीन महीने बाद ए0ओ0ए0 के गठन पर आपत्ति करना अपने आप में प्रश्नचिन्ह लगाता है।



क्रमशः पृष्ठ (4)

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछेक शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गई शिकायत दुर्भावना से प्रेरित है। अतः शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गई शिकायत साक्ष्यों/प्रमाणों के अभाव में बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर केप टाउन एसोसियेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स, प्लॉट नं०-जी०एच- 01/ए, सैक्टर-74, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के गठन/निर्वाचन दिनांक 03.03.2019 के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं की शिकायत बिना क्षेत्राधिकार एवं बलहीन होने के कारण खारिज/निरस्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि ए०ओ०ए० के निर्वाचित पदाधिकारी पंजीकृत मॉडल बॉयलाज में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत अपना कार्यकाल पूर्ण करते हुए निहित/समयान्तर्गत कार्यकाल के अन्दर निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

डिप्टी रजिस्ट्रार

पत्रांक: 2558

1-तददिनांक: 13/09/2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- श्री अरुण कुमार शर्मा-अध्यक्ष, केपटाउन एसोसियेशन आफ अपार्टमेंट ऑनर्स, सी एस-8/1602 केप टाउन सैक्टर-74 नोएडा 201301
- 2- श्री विवेक कुमार व अन्य, सी०बी० 1/1605, केप टाउन, सैक्टर-74, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 3- श्री अमित तिवारी व अन्य, सी-56/1208ए, सुपर केप टाउन, सैक्टर-74, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4- नवीन चन्द्र दुबे व अन्य-सी एम-2/901 सुपर टेक केप टाउन सैक्टर-74 नोएडा।

डिप्टी रजिस्ट्रार